Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 34 of 2024

(Chandramandi P.S. Case No.- 88/2023)

Date of Judgement : 19-05-2026

State of Bihar through informent Janki Devi Vs. Saurav Kumar & others

बिहार राज्य द्वारा सूचक/परिवादी जानकी देवी

बनाम

1. **सौरव कुमार उर्फ सौरव चौरसिया,** उम्र 37 वर्ष, पिता—परमानन्द मोदी,
2. **जयप्रकाश राम,** उम्र 49 वर्ष, पिता—चेतु राम,
3. **रघुनन्दन कुमार,** उम्र 42 वर्ष, पिता—भगवान मोदी,
4. **दिनेश कुमार साव,** उम्र 42 वर्ष, पिता—उमेश साव,

सभी निवासी ग्राम—माधोपुर, थाना—चन्द्रमंडी, जिला—जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354A, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं 354A एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) एवं 3(2)(va) के अंतर्गत,

अभियोजन पक्ष की ओर से— **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक,**

बचाव पक्ष की ओर से— **श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह, विद्वान अधिवक्ता,**

दिनांक :—.19.05.2026

निर्णय

1. कांड की सूचिका जानकी देवी पति पप्पु रजक के द्वारा थानाध्यक्ष, चन्द्रमंडी थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर चन्द्रमंडी थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या—88/2023 के रूप में भा0द0वि 341, 323, 354(A), 504 सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या—233/2023, भा0द0वि 342, 323, 354(A), 504 सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप काण्ड दैनिकी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 342, 323, 354(A), 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड की सूचिका जानकी देवी पति पप्पु रजक द्वारा थानाध्यक्ष, थाना चन्द्रमंडी को दिये

गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–21. 05.2023 को समय करीब 10 बजे दिन को सौरभ चौरसिया, जयप्रकाश राम, दिनेश कुमार साव, रघुनंदन चौरसिया मिलकर उसकी जमीन को जबरदस्ती घेराबंदी कर रहे थे और जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ लात–मुक्का लप्पड़–थप्पड़ से बारी–बारी करके मारपीट करने लगे और उसका ब्लाउज एवं कपड़ा फाड़ दिया। मारपीट के क्रम में उसे, मीना देवी, पप्पू रजक, शंभू रजक को शरीर पर चोट हुई। वे सभी काफी मनबढ़ु है। जमीन का खाता सं0–87, खेसरा 387, रकवा 2 एकड़ 12 डिसमिल है।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2024 को भा0द0वि0 की धारा भा0द0वि 341, 323, 354(A), 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) एवं 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे इन्होने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 7 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. कलावती देवी, 2. इन्द्रदेव साव, 3. संजय यादव, 4. कुलदीप रजक, 5. जानकी देवी (सूचिका), 6. रोहित कुमार (अनुसंधानक), 7. बदरी रजक है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घ टना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 कलावती देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना आज से डेढ़ साल पहले की है। समय करीब 10 बजे दिन का था। वह माधोपुर बाजार गई थी तो अचानक हल्ला होने की आवाज पर वहां गई तो उसने देखा कि जानकी देवी को अभियुक्तगण धोबनिया कहकर गाली गलौज कर रहे थे। **वह अभियुक्तगण को पहचानती है। प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि वह घरेलू महिला है। **वह घर के बाहर कम जाती है, इसलिए अभियुक्तगण**

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 34 of 2024

(Chandramandi P.S. Case No.- 88/2023)

Date of Judgement : 19-05-2026

State of Bihar through informent Janki Devi Vs. Saurav Kumar & others

को नहीं पहचाती है। हल्ला सुनी थी। घटना की विशेष जानकारी नहीं है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** के दौरान दो प्रश्न अभियुक्तण के विद्वान अधिवक्ता ने किया। प्रथम क्या मारपीट करते हुए देखा तथा दूसरा जिन लोगों ने मारपीट किया, उन लोगों को जानती हो। साक्षी ने दोनों प्रश्नों का कोई जबाव नहीं दिया।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 2 इन्द्रदेव साव** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक–21.05.2023 की हैं उस समय वह अपने घर में था। घर के बाहर हल्ला हो रहा था तो वह बाहर निकला तो उसने देखा कि जानकी देवी को प्रकाश राम, सौरव चौरसिया, रघुनंदन चौरसिया, जयप्रकाश राम, दिनेश साव मारपीट कर रहे थे। प्रकाश राम, सौरव चौरसिया, रघुनंदन चौरसिया, जयप्रकाश राम, दिनेश साव ने जानकी देवी का ब्लाउज फाड़ दिया तथा अर्द्धनग्न कर दिया तथा मारपीट के क्रम में जानकी देवी सड़क पर गिर गयी। वह अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि कुंज धोबी को वह जानता है। पंचायती के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्तगण उसके गांव के है, इसलिए पहचानता है। विवादित जमीन के बारे में कुछ नहीं बता सकता है। दोनों पक्षों में जमीन का विवाद है। केस, जगह–जमीन एवं मारपीट का है। घटनास्थल पर सभी जाति के लोग थे, धोबी, बाभन एवं तेली थे। मुदई को बोल रहे थे लड़ाई झगड़ा मत करो। उसे (साक्षी को) गवाही के लिए पप्पू रजक लाया हैं उसने उसे जगह जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया है। ऐसी बात नहीं है कि उसने आज, जो गवाही दी है, वह बिल्कुल झूठा है।

8. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 संजय यादव,** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक–21.05.2023 की समय करीब 10 बजे दिन की है। उस समय वह अपने गांव में बाजार से जा रहा था तो देखा कि जानकी देवी के साथ प्रकाश राम, सौरव चौरसिया, रघुनंदन चौरसिया, जयप्रकाश राम, दिनेश साव मारपीट कर रहे थे। **जब वह झगड़ा छुड़ाने गया तो वे लोग बोले कि उन लोगों का आपस का मामला है, बीच में मत पड़ो।** उसके बाद वह सड़क के उस तरफ खड़ा हो गया तो वे सभी लोग जानकी देवी को मादरचोद धोबिन कहने लगे और **बोले कि गांव में रहना है तो फ्री में कपड़ा धोना होगा।** इन लोगों ने शंभु रजक के साथ भी मारपीट किया। **जयप्रकाश राम ने जानकी देवी को पत्थर से मारा तो चोट लगा।** साक्षी अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि दोनों पक्षों में किस चीज का विवाद है वह नहीं जानता है। वह

vakil

बुधवा गांव का रहने वाला है। वह माधोपुर बाजार जा रहा था। उस समय सरयुग पासवान के होटल के पास था। होटल में बहुत से लोग थे, लेकिन नाम नहीं बता सकता है। डी0एस0पी0 साहब के पास उसका बयान नहीं हुआ था। देवघर में उसके ऊपर कोई केस नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उसके ऊपर देवघर में 4 केस है। चन्द्रमंडी थाना में उसके ऊपर चार केस है। उसके गोतिया का है। ऐसी बात नहीं है कि केस करना एवं लड़ाई झगड़ा करना उसका पेशा है। घटनास्थल पर पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। घटनास्थल पर क्या साक्ष्य मिला इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय में उपस्थित लोगों पर पहले से कोई मुकदमा है या नहीं वह नहीं जानता है। मुदेय के परिवार में कितने लोग है वह नहीं जानता है। मुदालय लोगों से उसका मधुर संबंध है। मुदेय को बराबर वह बाजार में देखता है। उसके गांव से बाजार की दूरी 6 किलोमीटर है। बाजार में दुकान है। घटनास्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर उसका पान दुकान है। घटना के दिन वह अपने दुकान में 11–12 बजे गया था तथा उस दिन 3 बजे तक दुकान में था। उसने कथित घटना के दिन करीब 11 बजे बाईक से निकला था। **घटनास्थल पर लड़ाई झगड़ा के आलोक में किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला था।** वह आज नोटिस पर गवाही देने आया है। ऐसी बात नहीं है कि उसने बिल्कुल झूठी गवाही दी है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 4 कुलदीप रजक ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक–21.05.2023 की समय करीब 10 बजे दिन की है। उस समय वह माधोपुर बाजार में था। जानकी देवी के साथ जयप्रकाश राम, रघुनंदन चौरसिया, सौरव चौरसिया, दिनेश साव गाली गलौज भोसड़ी, धोबिन, हरमजादी एवं मारपीट कर रहे थे तथा कह रहे थे कि ''तुम्हारा काम है कपड़ा धोना, जाकर कपड़ा धोओ कहते हुए मारपीट करने लगे तथा मारते मारते जानकी देवी का ब्लाउज एवं साड़ी फट गया जिससे वह अर्द्धनग्न हो गयी। साक्षी सभी अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि अजीत कुमार उसका कोई नहीं लगता है। वह चौरसिया जाति का है। **अजीत कुमार मोदी ने जो केस किया है उसमें वह अभियुक्त है। अजीत कुमार ने चन्द्रमंडी थाना में केस किया था।** ऐसी बात नहीं है कि उसने चन्द्रमंडी थाना कांड सं0–82/2020 की जानकारी उसे नहीं है। **सौरव कुमार का अपना चचेरा भाई अजीत कुमार मोदी है। जमीन विवाद को लेकर अजीत कुमार मोदी ने इन लोग पर केस किया है। जिसका मुकदमा जमुई कोर्ट में चल रहा है जिसमें जानकी देवी एवं उसके पति पप्पु रजक दोनों अभियुक्त है।** दोनों पक्षों में 4–5 साल से जमीन विवाद चल रहा है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादित जमीन किसकी है। इस जमीन विवाद को लेकर कोई पंचायत

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 34 of 2024

(Chandramandi P.S. Case No.- 88/2023)

Date of Judgement : 19-05-2026

State of Bihar through informent Janki Devi Vs. Saurav Kumar & others

नहीं हुई थी। विवादित जमीन का खाता, खसरा नहीं बता सकता है। घटनास्थल की चौहदी बता सकता है। घटनास्थल पर 15 लोगों की भीड़ थी लेकिन वह किसी का नाम नहीं बता सकता है। कथित घटना के दिन उसे सुबह से शाम तक कितने लोगों से मुलाकात हुई उनका नाम नहीं बता सकता है। घटनास्थल के बगल में मेडिकल का दुकान है, नाम नहीं बता सकता है। मेडिकल दुकान पर भीड़ था या नहीं वह नहीं कह सकता है। घटनास्थल से उसकी दुकान लगभग सौ मीटर की दूरी पर होगी। उसका दुकान एवं घटनास्थल के बीच कितने दुकान है, नहीं बता सकता है और ना ही किसी का नाम बता सकता है। चन्द्रमंडी थाना कांड सं0–82/2020 में वह जमानत पर है। लड़ाई झगड़ा में उसने बीच बचाव किया था किंतु विडियों नहीं बनाया था। इलाज कराने के लिए वह नहीं गया था। उसका भाई पप्पु गया था। पुनः कहता है कि इसकी जानकारी उसे नहीं है। विवादित जमीन का मापी हुआ है या नहीं, वह नहीं जानता है। वह और जानकी देवी एक ही जाति के हैं। उसका कपड़ा, आईना का दुकान है। उसका बयान थाना में हुआ था और उसके साथ एक–दो आदमी और थाना गये थे। थाना में वह खुद गया था। ऐसी बात नहीं है कि उसने अपनी भाभी के कहने पर आज न्यायालय में झूठी गवाही दी। ऐसा भी नहीं है कि जानकी देवी ने अभियुक्तों का जमीन हड़पने के लिए केस किया है। तीनों अभियुक्त माधोपुर बाजार के हैं इसलिए पहचानता है।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या 5 जानकी देवी (काण्ड की सूचिका)** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक–21.05.2023 को समय करीब 10 बजे दिन की है। उस समय वह अपने घर पर थी। माधोपुर बाजार में एक जमीन, जो कि पूर्वज का है, उस पर सौरभ चौरसिया, जयप्रकाश राम, दिनेश साव, रघुनंदन चौरसिया सभी मिलकर धेराबंदी कर रहा था। पता चलने पर वे लोग रोकने गये तो सौरभ गाली देते हुए बोला कि ''साली धोबिनीया तुम यहां आयी हो, रोकने के लिए''। फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद सौरभ चौरसिया ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया। बचाने के लिए उसके पति पप्पु रजक, ससुर शंभु रजक एवं मीना देवी बचाने आयी तो उन लोगों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज किया। यह लिखित आवेदन उसने थाना में दिया। यह वही लिखित आवेदन है जिस पर उसका हस्ताक्षर है। साक्षी के पहचान पर इसे प्रदर्श P-1/P.W.5 अंकित किया गया। साक्षी सभी अभियुक्तों को पहचानती है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि उसका घर माधोपुर गांव में है। माधोपुर गांव में, जिस समय वह अपने घर पर थी, उस समय 9:30 बज रहा था। उस समय उसके घर में उसके पति एवं बच्चे लोग थे। उस समय उसकी बेटी खाना बना रही थी। बेटी उसकी खाना बनाकर नहीं खिला पायी। खाना बनने

में एक घंटा समय लगा होगा। एक घंटा के बाद भी घर में थे। वे लोग खाना नहीं खा पाये। उसके पास जमीन का केवाला नहीं है। उसे जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके गार्जियन ही बता सकता है। वह पढ़ी लिखी महिला है। उसने जमीन का कागज नहीं पढ़ा था। उसके घर से जमीन की दूरी आधा किलोमीटर है। वह कर्न्फम नहीं बता सकती पर आधा और सवा किलोमीटर के अंदर ही है। ऐसी बात नहीं है कि यह जमीन अभियुक्तों की है। अभियुक्तों ने जमीन को दिनांक–23.06.2022 को केवाला से हासिल किया है और उनका रसीद कटता है या नहीं इस बात की जानकारी नही है। ऐसी बात नहीं है कि ना तो उसका जमीन है और ना ही जमीन संबंधी कोई कागजात है। जमीन का खाता, खेसरा बता सकती है। उसके पास जमीन का रसीद कटा हुआ है। रसीद किस आधार पर कटा है, इसकी जानकारी नहीं है। घटनास्थल के बगल में चंद्रिका साह का घर है, प्रदीप साह का घर है, पूरब में कारू साह का घर है, पश्चिम में सरयुग पासवान का होटल है। **वह किसी स्वतंत्र साक्षी का गवाही नहीं करा सकती है।** उसने थाना में आवेदन टाइप कराकर नहीं दी थी। थाना में दिये गये आवेदन में उसने दस्तखत किया था। **लिखित आवेदन लाया गया है जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर बना दिया।** लिखित आवेदन पर किसी गवाह का हस्ताक्षर नहीं है। पैरा 26 में कथन किया है कि **यदि अभियुक्तगण जमीन पर दावा नहीं करते तो वह यह मुकदमा नहीं करती।** जमीन पर नहीं जाता और दावा नहीं करता तो इन सब बातों को आवेदन में नहीं लिखती। गाली गलौज एवं मारपीट करने का विडियों बगैरह नहीं बनायी। कोई दस्तावेजी साक्ष्य उसके पास नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ये जमीन अभियुक्तगण का है और वह जमीन हड़पना चाहती है। अनुसूचित जाति होने के कारण यह मुकदमा की है। ऐसी बात नहीं है कि उसने झूठा मुकदमा किया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या 6 रोहित कुमार** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि दिनाक 21.05.2023 को वह चंद्रमण्डी थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। वादिनी जानकी देवी के द्वारा एक लिखित आवेदन थानाध्यक्ष को दिया गया, जिस पर थानाध्यक्ष ने चंद्रमंडी थाना काण्ड संख्या 88/23 दिनांक 21.05.2023 अंकित करते हुये अनुसंधान का भार उसे सौंपा गया। यह लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन थानाध्यक्ष ध्रुव कुमार के द्वारा लिखा गया, जिस पर थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी के पहचान पर **प्रदर्श P-2/P.W.6** के रूप में ग्राहय किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी थानाध्यक्ष ध्रुव कुमार के द्वारा लिखा गया, जिस पर थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी के पहचान पर **प्रदर्श P-3/P.W.6** के रूप में ग्राहय किया जाता है। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के पश्चात प्राथमिकी का अवलोकन कर काण्ड दैनिकी में टंकित अंकित किया गया। उसके बाद

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 34 of 2024

(Chandramandi P.S. Case No.- 88/2023)

Date of Judgement : 19-05-2026

State of Bihar through informent Janki Devi Vs. Saurav Kumar & others

वादिनी का पुनः बयान लिया। फिर सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर ही साक्षी इंद्रदेव साव, कलावती देवी का बयान लेखबद्ध किया, जिन्होनें घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया। फिर वादिनी एवं साक्षी के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस काण्ड का घटनास्थल चंद्रमंडी थाना अंतर्गत ग्राम माधोपुर स्थित एन0एच0 333 के बगल में वादिनी का विवादित जमीन है, इसी जमीन पर वादिनी के साथ मारपीट करने की बात बताई जाती है, जिसकी चौहद्दी है, उत्तर में एन0एच0 333 चकाई देवघर मुख्य मार्ग है, दक्षिण में बौघा राम का परती जमीन है, पुरब में कारू साह का घेराबंदी किया जमीन है तथा पश्चिम में कारू पासवान का ढाबा है। जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किये, जिसको काण्ड दैनिकी के पैरा–12 में अंकित किया। फिर साक्षी संजय यादव, कुलदीप रजक का बयान लिया, जिन्होनें प्राथमिकी का पूर्णरूपेण समर्थन किया। पुलिस अधीक्षक, जमुई का प्रतिवेदन 2 प्राप्त हुआ, जिसे काण्ड दैनिकी के पैरा 33 में अंकित किया। अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ सौरभ चौरसिया एवं रघुनंदन चौरसिया उर्फ रघुनंदन कुमार को गिरफ्तार किये। यह दोनों गिरफ्तारी मेमो है, जो उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी के पहचान पर **प्रदर्श P-4/P.W.6 एवं P-5/P.W.6** के रूप में ग्राहय किया गया। आज न्यायालय में अभियुक्त सौरभ कुमार उपस्थित नहीं है, परंतु रघुनंदन चौरसिया उपस्थित है, जिसे पहचानता है। घटनास्थल का निरीक्षण एवं गवाहो के बयान तथा वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार अभियुक्त सौरभ चौरसिया, रघुनंदन चौरसिया, दिनेश कुमार साव, जय प्रकाश राम के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 233/23, दिनांक 31.12.2023 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354ए, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं एस0सी0एस0टी0 एक्ट की धारा 3(1)(r)(s)(w), 3(2)(va) में समर्पित किया। यह वही आरोप पत्र है, जो उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसपर राजेश रंजन पु0अ0नि0 का हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी के पहचान पर **प्रदर्श P-6/P.W.6** के रूप में ग्राहय किया गया। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी का कथन है कि घटनास्थल के चौहद्दी के दोनों **स्वतंत्र साक्षी का बयान लिया है। स्वतंत्र साक्षी का नाम इंद्रदेव साव एवं कलावती देवी था। जानकी देवी माधोपुर की रहने वाली थी। घटनास्थल से माधोपुर करीब 500 मी0 की दूरी पर है। इन लोगों के बीच जमीनी विवाद है। जमीन का दखल कब्जा किसी के पास नहीं है।** उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमीन अभियुक्तों का है। **अभियुक्त पक्ष ने जमीन संबंधी दस्तावेज दिया था। मुदैय (Informant of the case) ने जमीन संबंधी कोई कागज उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।** उसने राजस्व अभिलेख का अवलोकन नहीं किया। उसने थाने के अभिलेख में कोई भी मुकदमा इन अभियुक्तों के विरूद्ध नहीं पाया। इस मामले के संबंध में कोई पंचायत नहीं हुआ था। वह कम्पुयटर चलाना जानता है। घटनास्थल पर वह प्राथमिकी

Verdictum

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 34 of 2024

(Chandramandi P.S. Case No.- 88/2023)

Date of Judgement : 19-05-2026

State of Bihar through informent Janki Devi Vs. Saurav Kumar & others

दर्ज होने के बाद 30 से 45 मिनट के अंदर निकल गया था। **प्राथमिकी 4.30 बजे शाम को दर्ज हुआ था।** उसने 4.30 बजे के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया। उसने काण्ड दैनिकी में यह नहीं लिखा है कि कितने बजे काण्ड दैनिकी लिखना प्रारंभ किया है। उसने किस साक्षी का साक्ष्य कितने बजे लिया, यह बात काण्ड दैनिकी में अंकित नहीं किया है। घटनास्थल पर घटना के आलोक में कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस मुकदमा में लगाए गये धाराओं के अपराध की सजा 7 वर्ष से कम है। गिरफ्तारी मेमो पर अभियुक्तों का हस्ताक्षर है। वरीय पदाधिकारी के आदेश एवं निर्देश के आलोक मे आरोप पत्र समर्पित किया। ऐसी बात नहीं है कि वैज्ञानिक रूप/तकनीकी रूप से अनुसंधान नहीं किया एवं टेबुल रिपोर्ट बना दिया।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 7 बदरी रजक ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक–21.05.2023 समय करीब 10 बजे दिन की है। उस समय वह माधोपुर बाजार के बगल में काम कर रहा था। सौरव कुमार, दिनेश साह, जयप्रकाश राम, रघुनंदन चौरसिया ने जानकी देवी से गाली गलौज एवं झगड़ा करने लगे। सौरव कुमार, दिनेश साह, जयप्रकाश राम, रघुनंदन चौरसिया सब मिलकर जानकी देवी का ब्लाउज फाड़ दिया और धोबिन, हरमजादी एवं मारपीट कर रहे थे। वह अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि माधोपुर बाजार में बहुत दुकान है। गिनती नहीं बता सकता है क्योंकि उसे गिनती नहीं आता है। किसी भी दुकानदार का नाम नहीं बता सकता है। वह ठेकेदार के द्वारा घर बना रहा था। उसका नाम नहीं बता सकता है। वहां उस जगह पर कुछ भी होता है उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। **जानकी देवी उसकी चचेरी बहु लगती है** और पप्पु रजक उसका भतीजा लगता है। जानकी देवी के पति का नाम पप्पु रजक है। पप्पु रजक ने उसे जमीन विवाद के बारे में बताया है। उसका गौरव एवं सौरव के साथ जमीनी विवाद है। **जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मुकदमा होता रहता है। यह केस भी जमीन विवाद को लेकर हुआ है। मुदैयी ने यह मुकदमा इसलिए किया है कि उसे यह जमीन मिल जाये।** वह जमीन का खाता खसरा नहीं बता सकता है, जानकी देवी बता सकती है। **जिस केस में वह गवाही देने आया है उसमें जो कुछ भी है वह जानकी देवी ही बता सकती है।** बाजार में बहुत लोग थे लेकिन वह किसी का नाम नहीं बता सकता है। अभियुक्तों को जब से वे पैदा हुए है तब से जानता है। जानकी देवी आज न्यायालय नहीं आयी है। **जानकी देवी उसकी बहु लगती है** इसलिए गवाही दिया है। ऐसी बात नहीं है कि जैसा उसने मुख्य परीक्षा (Examination-in- chife) में कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी है।

13. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354(A), 504 सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

14. विशेष लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता ने बहस क्रम में कथन किया कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354A, 504 सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे (Beyond shadow of all reasonable doubt) साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण इन आरोप के लिए दोषसिद्ध (Conviction) के योग्य हैं।

15. उपरोक्त पैरा 14 के विपरीत अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ता का बहस क्रम में कथन है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अभियुक्तगण के विरूध लगे आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे (Beyond shadow of all reasonable doubt) साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण इन आरोप के लिए दोषमुक्ति (Acquitial) के योग्य हैं।

16. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 21.05.2023 को अभियुक्त सौरभ चौरसीया, जयप्रकाश राम दिनेश कुमार साव, रधुनंदन चौरसीया मिलकर सूचिका जानकी देवी की जमीन को जबरदस्ती घेर रहे थे जब उसने विरोध किया तो अभियुक्तगण उसे लात, मुक्का, थप्पड़ से बारी–बारी से मारने लगे और उसका ब्लाउज कपड़ा फाड़ दिए। मारपीट के क्रम में सूचिका जानकी देवी, मीना देवी, पप्पू रजक, शंभु रजक को चोट लगा। उल्लेखनीय है कि सभी अभियोजन साक्षियों ने स्वीकार किया है कि मामला भूमि विवाद का है तथा भूमि विवाद के कारण कथित घटना घटी। अनुसंधानकर्ता (अभियोजन साक्षी सं0–6) ने पैरा 5 में कहा है कि वह घटनास्थल की चौहदी के दो स्वतंत्र साक्षी कलावती देवी एवं इन्द्रदेव साव का बयान (Statemnet) लेखबद्ध किया था तथा इन दोनों साक्षियों ने घटना का समर्थन किया था। उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान ये दोनों कथित स्वतंत्र साक्षी कलावती देवी एवं इन्द्रदेव

का साक्ष्य इस मामले में क्रमशः अभियोजन साक्षी सं0–1 एवं 2 के रूप में हुआ था। यद्यपि अभियोजन साक्षियों ने अपने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का साररूप से समर्थन किया है, किंतु अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कुछ विरोधाभाष भी है। **जैसे कि अभियोजन साक्षी सं0–1 कलावती देवी, जो कथित रूप से स्वतंत्र साक्षी है एवं घटनास्थल की चौहदी की निवासनी है, उसने कहा है कि अभियुक्तगण ने सूचिका जानकी देवी को धोबनिया कहाकर गाली दी। किंतु इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में प्राथमिकी के अन्य कथित घटना का समर्थन नहीं किया है।** इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में मारपीट के तथ्य का उल्लेख भी नहीं किया है। अभियोजन साक्षी सं0–2 इन्द्रदेव साव ने प्राथमिकी से भिन्न कथन किया है कि मारपीट से सूचिका जानकी देवी गिर गयी थी, जबकि यह तथ्य ना ही प्राथमिकी में है और ना ही किसी अन्य अभियोजन साक्षी ने इस तथ्य का उल्लेख अपने साक्ष्य में किया है। इसी प्रकार से अभियोजन साक्षी सं0–3 संजय यादव ने अभियोजन साक्षी सं0–1 एवं 2 से भिन्न कथन किया है कि अभियुक्तों ने सूचिका जानकी देवी से कहा कि ''तुम्हें कपड़े धोने होंगे''। **यहां उल्लेखनीय है कि इस प्रकार से अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से विदित होता है कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है किंतु मेरे विचार से अभियोजन साक्षी सं0–1 का साक्ष्य विश्वसनीय है तथा उसके अनुसार जब वह घटनास्थल पर गयी तो अभियुक्तगण जानकी देवी को धोबिनिया कहकर गाली दे रहे थे। प्रति परीक्षा (Cross Examination) में साक्षी से पूछा गया कि क्या आपने मारपीट होते हुए देखा था तो इस साक्षी ने कोई जबाव नहीं दिया। स्पष्ट है कि मौन रहना यह दर्शाता है कि मारपीट के अभियोग से वह सहमत नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है, जो यह साबित करे कि सूचिका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्या थी।** अतः मेरे विचार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), एवं 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सका है। इसी प्रकार से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगा भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354A के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने का आरोप भी सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं हो सका है, किंतु मेरे विचार से यह नि:संदेह रूप से सभी अभियोजन साक्षियों ने कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा सूचिका जानकी देवी के साथ गाली गलौज किया गया था। अतः मेरे विचार से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 504 सपठित धारा 34 के आरोप को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः

आदेश

यह धारण (Hold) किया जाता है कि अभियुक्त उपरोक्त सौरभ कुमार उर्फ सौरभ

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 34 of 2024

(Chandramandi P.S. Case No.- 88/2023)

Date of Judgement : 19-05-2026

State of Bihar through informent Janki Devi Vs. Saurav Kumar & others

चौरसिया, रघुनन्दन चौरसिया, जयप्रकाश राम एवं दिनेश कुमार साह को भा0द0वि0 की धारा 504 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के दोषी है।

पीठ लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को दूसरी पाली में सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत करे।

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–19.05.2026

Web Copy

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 34 of 2024

(Chandramandi P.S. Case No.- 88/2023)

Date of Judgement : 19-05-2026

State of Bihar through informent Janki Devi Vs. Saurav Kumar & others

सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु।

19.05.2026

दूसरी पाली में, अभिलेख सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत हुआ। दोषीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दोषियों को सिर्फ गाली देने के अभियोग अर्थात भा0द0वि0 की धारा 504 के लिये दोषी पाया गया है। दोषियों का यह प्रथम अपराध है। अतः दोषियों को परिवीक्षा अधिनियम (Probation Act), 1958 की धारा 3 का लाभ देना न्यायोचित है।

उल्लेखनीय है कि परिवीक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 434 से 437 दिनांक 9.4.2026 के द्वारा दोषियों के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रेषित किये गये, जो अभिलेख के साथ शीलबंद अवस्था में संलग्न है। सभी पक्षो की उपस्थिति में इस शीलबंद प्रतिवेदन को खोला गया। इन प्रतिवेदनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि साररूप से सभी प्रतिवेदन में परिवीक्षा पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि दोषियों की कोई बुरी संगति नही है, दोषी व्यवहार कुशल एवं सहयोगी प्रकृति के है। अतः दोषी पाये जाने के स्थिति में इन्हे परिवीक्षा का लाभ देने में विचार किया जाना उचित होगा। इस प्रतिवेदन के आलोक में विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार दोषियों को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 का लाभ देना न्यायोचित है।

सभी पक्षो को सुनने, परिवीक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदनों तथा **इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि दोषियों को सिर्फ गाली देने के कृत्य के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 का दोषी पाया गया है।** अतः दोषियों को उनके अपराध कृत्य के लिये सम्यक भर्त्सना (Due admonition) के पश्चात छोड़ा जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे	सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,	अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।	व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–19.05.2026	दिनांक–19.05.2026